# 8 दिसंबर 2014 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 45 का संलग्नक

अधिसूचना सं.फेमा.20 की अनुसूची 1 के संलग्नक "बी" में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
	ईक्विटी का	
	प्रतिशत	
कृषि और पशुपालन		
अन्य शर्तेः		
<ol> <li>'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिए</li> </ol>	वेत को कवर करती	है:-
(i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम	की खेती वाली श्री	णियों के लिए
•		•
		•
•		
	तहत' शब्दावली नि	म्नलिखित
कवर करती है:		
(ए) स्टाल-फीडिंग सहित गहन फार्मिंग प्रणालियों वे	न् तहत पश्-पालन।	राष्ट्रीय पश्
नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणानि	लेयों में जलवायु प्रप	गालियां (हवा-
रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वार	<sup>-</sup> थ्य देखभाल और	पोषण, झुंड
पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग	, अपशिष्ट प्रबंध	न प्रणालियां
अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प	प्रणालियों एवं न्यू	नतम मानक
समझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"।		
(बी) मर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी जहां मक्ष्म-जन	वाय को दनक्यबेट	र. हवा-रोशनी
3	•	
(iii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में	नियंत्रित परिस्थिति	ायों के तहत'
शब्दावली इन्हें कवर करती है:		
	कृषि और पशुपालन अन्य शर्तः  II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिरि  (i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जिर्दे हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य प जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्ष  (ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के किवर करती है:  (ए) स्टाल-फीडिंग सहित गहन फार्मिंग प्रणालियों के नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों के नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों के पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प्रममझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"।  (बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जल (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकिय  (iii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में	कृषि और पशुपालन अन्य शर्तैः  II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती  (i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सिंड्जियों और मशरूम की खेती वाली श्री  'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है  तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को :  नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में  हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्य  जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किय  (ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निव कवर करती है:  (ए) स्टाल-फीडिंग सिहत गहन फार्मिंग प्रणालियों के तहत पशु-पालन।  नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों में जलवायु पर रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंध अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प्रणालियों एवं न्यू समझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"।  (बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेट- (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किय

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफ	डीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ई	क्विटी का	
			प्रतिशत	
	(ए) मछलीघर (अक्वेरियम)	·		
	(बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के			
	छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जा			J
	के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है।			
	(iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है:			
		_ 🗪	<u> </u>	<u> </u>
	(ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरा को को को कामका के और			
	वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमान में और	•	•	
	और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी	पालन ४	स राहद का उत	-पादन ।
6	रक्षा			
			<u>,                                      </u>	
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन)	26%	26% तक	सरकारी मार्ग
	अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के		से।	
	अधीन है।			धिक, मामले-
				न आधार पर,
			] 3	धी कैबिनेट
				मंजूरी द्वारा
			जिसमें अ	
				द्योगिकी तक
			_	च सुनिश्चित
			होती हो।	
	नोट: (i)विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी			(Flls) द्वारा
	(पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) निवेश करने	की अन्	नुमति नहीं है।	
	(ii) 22 अगस्त 2013 को रक्षा लाइसेंस की धा	रक कंप	ानियों में विदेश	शी पोर्टफोलियो
	निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FII	•		
	माध्यम से) किए गए निवेश तिद्दनांक के मौजूदा स्तर पर सीमित रहेंगे। नए			
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेश(FIIs) (पोर्टफोलियो निवेश			
	के माध्यम से) नहीं किए जाएंगे, भले ही ऐसे	निवेश	का स्तर बा	द में उच्चतम
	(कैप) स्तर से कम हो जाए।			

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
6.2	अन्य शर्ते:	אומינומ	
<u> </u>	(xv) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार से अनुमित लेने के लिए सभी आवदेनपत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (फिन) के सचिवालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।		
	(xvi) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवदेनपत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे 1200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाने वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन चाहने वाले आवेदनपत्रों की, सभी मामलों में, अतिरिक्त जांच आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषतौर पर रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) द्वारा की जाएगी।		
	(xvii) जिन मामालों से देश नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच सके, ऐसे मामलों में रक्ष उत्पादन विभाग (DoDP) और विदेशी निवेश संवर्धन विभाग (DIPP) की संस्तुति के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।		
	(xviii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 26% से अधिक के प्रस्ताव जिनमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश लाने के प्रस्ताव हों, जिनका अनुमोदन सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा किया जाए, उनके लिए उक्त के अलावा आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।		
	(xix) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
सेवा क्षेत्र	<u> </u>		
सूचना र	नेवाएं		
7	प्रसारण		
7.5	उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), अर्हताप्राप्त विदेशी	निवेशकों (एफआः निवेशकों (क्यूएफॐ	ईआई), विदेशी ॥ई), अनिवासी
	भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों ( रसीदों (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआ		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी	शेयरों के जरिए कि	ए गए निवेश
	शामिल होंगे।		
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश	निम्नलिखित सुरक्ष	ग शर्तीं/नियमों
	के अधीन होंगे:		
	कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (security cleara	nce)	
	(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति	त, संविदा और प	रामर्शदात्री या

(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए, उनके अभिनियोजन से पहले, सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

## अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन

(vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमित धारक/ लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के पर संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमित/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइसेंस धारण किए जाने हेत् अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

#### सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

(xiv) ये निरीक्षण सामान्यतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसी नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।

### राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें

(xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा	अवधियों के लिए 3	स्थायी रूप से
	निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जार्र	ो किए गए किसी	भी निदेश का
	कंपनी को तुरंत अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने	ो पर अनुमति को	रद्द किया जा
	सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के	लिए ऐसी अनुमति	प्राप्त करने के
	लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।		
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने	26 प्रतिशत	सरकार
	वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का	(एफडीआई और	
	प्रकाशन	एनआरआई/	
		पीआईओ/	
		एफआईआई/	
		एफपीआई द्वारा	
		निवेश)	
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने	26 प्रतिशत	सरकार
	वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का	(एफडीआई और	
	प्रकाशन	एनआरआई/	
		पीआईओ/	
		एफआईआई/	
		एफपीआई द्वारा	
		निवेश)	
9.	नागरिक उड्डयन		
9.1	(ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से	ो है जो नागरिक उ	ड्डयन मंत्रालय
	द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की	ो शर्तों को पूरा करत	नी हो;
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
9.3.1	अन्य शर्तें		
	(ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूर्	चेत विमान परिवह	न सेवाओं को
	परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उ	निकी चुकता पूंजी	के 49 प्रतिशत
	की सीमा तक निवेश करने की अनुमित है। ऐसे निवेश	निम्नलिखित शर्तीः	के अधीन होंगे:
	(i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएग	Π	

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
я≀.√п.	दात्र(सपटर)/गातायाय	इक्विटी का	अपरा नाग
		प्रतिशत	
	(ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश		 ग्रात निवेशकों/
	एफपीआई के निवेश शामिल होंगे।	311( 199(11 (1) 9	191(1 1919(1977)
	Change da leight (mett) (lei)		
	(iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियम	• •	
	प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनिय		
	अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ	अन्य लागू नियमो	और विनियमी
	का पालन करना आवश्यक होगा।		
	(iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को टि	ए जा सकते हैं:	
	क) जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्था	न भारत में है;	
	ख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निवे	शिक भारत के ना	गरिक हैं, और
	ग) जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व	त्र और प्रभावी नियंः	गण है।
	(v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित उ	और गैर अनूसूचित	हवाई परिवहन
	सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों की तै	नाती के पहले सुरध	ता की दृष्टि से
	अनापितत प्रमाणपत्र लेना होगा; और		
	(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों		
	के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना		
	अपेक्षित होगा।		
	टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया		
	गया हो।	द्वारा काइ मा ।न	वरा नहा ।कया
	(ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेध	श के मंतंश में भनि	ातामी भारतीयों
	द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में भ		191(11 011(11 91
	(iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर	• •	र लाग नहीं है।
		•	
15	दूरसंचार सेवाएं	100%	49 प्रतिशत
	(दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित)		तक स्वचालित
	अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार		मार्ग से
	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित सभी दूरसंचार		49 प्रतिशत से
	सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस		अधिक सरकारी
	सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं),		मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी		
	सेवाएं, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो		
	ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल		
	पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी		
	प्रकार के आएसपी लाइसेंस, वाइस		
	मेल/आडियोटेक्स/यूएमएस, आईपीएलसी की रिसेल,		
	मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता		
	श्रेणी-। (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस,		
	टावर उपलब्ध कराने वाले) ।		
15.1.1	अन्य शर्ते :		
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% जिसमें से 49% स्वचाि	ति मार्ग से तथा 49%	% से अधिक
	सरकारी मार्ग से होगा बशर्ते लाइसेंसी के साथ-साथ नि	विशक द्वारा समय-स	ामय पर दूर
	संचार विभाग द्वारा जारी अधिसूचित लाइसेंसिंग एवं	सुरक्षा संबंधी शर्तों क	ा पालन किया
	जाए, केवल "अन्य सेवा प्रदाताओं" को छोड़कर जिन्हें	स्वचालित मार्ग के 3	ांतर्गत 100%
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति है।		
16.	व्यापार		
16.3	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा 100 प्रतिशत	49 प्रतिशत त	क स्वचालित
	व्यापार	मार्ग से	
		49 प्रतिशत से	अधिक
		सरकारी मार्ग	से
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार व	हरने के लिए किसी व	कंपनी में 49%
	से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत स		
	आवेदनपत्र औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में	•	<b>-</b>
	आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट	•	
	'सिंगल ब्रांड' के तहत विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के तहत विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त		
	करना होगा।		3 ", " " "
	वित्तीय सेवाएं		
	नीचे लिखी ह्ई वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य र्व	वेत्तीय सेवाओं में वि	दिशी निवेश के
	लिए सरकार की पूर्वानुमित लेनी होगी:		
	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
17.	परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो	एआरसी की	49% तक
	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन	प्रदत्त प्रंजी का	स्वचालित मार्ग
	तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002	100% प्रतिशत	से
	(सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व	(FDI+FII/FPI)	49% से
	बैंक के पास पंजीकृत हो।		अधिक सरकारी
			मार्ग से
17.2	अन्य शर्तैः		
	(i) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक वे	h पास पंजीकृत :	आस्ति पुनर्गठन
	कंपनियों की पूंजी में स्वचालित मार्ग से 49% तक	और 49% से	अधिक सरकारी
	अनुमोदन मार्ग से निवेश कर सकता है।		
	(ii) कोई भी प्रवर्तक किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपन	ी में 50% से अ	धिक शेयरों को
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एक प्रवर्तक द्वारा नियंत्रि	त एफआईआई/एफ	पीआई के जरिए
	धारित (होल्ड) नहीं कर सकता है।		
	(iii) किसी एक एफआईआई/एफपीआई की कुल शेयरधार्ग	रेता कुल प्रदत्त पृ	्जी के 10% से
	कम होनी चाहिए।		
	(iv) रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी	की गई प्रतिभूति	रसीदों (एसआर)
	में एफआईआई/एफपीआई निवेश कर सकते हैं। एफआईआई/एफपीआई एसआर योजना की		
	प्रत्येक श्रृंखला में 74 प्रतिशत तक निवेश कर सकते	हैं। ऐसे निवेश	कार्पोरेट बांडों में
	एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश करने के लिए, सम	ाय-समय पर, विबि	नेर्दिष्ट सीमा में,
	और वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमवाली के	अंतर्गत दी गई से	क्टोरल कैप के
	भीतर होने चाहिए।		
	(v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण	और पुनर्गठन तथ	ा प्रतिभूति हित
	प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3	(3) (एफ) के उ	पबंधों के अधीन
	होंगे।		
18.	बैंकिंग-निजी क्षेत्र		
18.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	एफआईआई/एफ	49 प्रतिशत
		पीआई द्वारा	
		किए गए निवेश	स्वचालित
		सहित 74	मार्ग से
		प्रतिशत	

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
			49 प्रतिशत
			से अधिक
			और 74
			प्रतिशत तक
			सरकारी मार्ग
			से
18.2	अन्य शर्तैः		
	(1) इस 74 प्रतिशत की इस सीमा में पोर्टफोलियो नि	विश योजना (पीआ	ईएस) के तहत
	एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा किए गए वि	नेवेश, पूर्ववर्ती ओर्स	ोबी द्वारा 16
	सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपी	ओ, निजी तौर पर	आबंटित शेयर,
	जीडीआर/एडीआर और मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेर	गर शामिल रहेंगे।	
	(4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा	स्टॉक एक्सचेंज वे	न माध्यम से
	पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले नि	वेश की अनुमत सीव	मा निम्नानुसार
	होगी:		
	(i) एफआईआई/एफपीआई के मामले में, अब तक की	ो भांति, किसी एव	न् एफआईआई/
	एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी		
	एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से		
	अधिक नहीं हो सकती है, जिसे संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक		
	बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित		
	किया हो और उसके बाद उसकी आम सभा ने भी इ	स आशय का एक	विशेष संकल्प
	पारित किया हो।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई	द्वारा किए जाने व	ग्राले निवेश की
	सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बर्न	ो रहेगी।	
	(डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनि	वासी को शेयर अंत	नरित करने के
	लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने	की अपेक्षा विनि	यम 14(5) के
	अनुसार लागू बनी रहेगी।		
20.	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)		
20.2	पण्य बाजार	49% (एफडीआई	
		और एफआईआई/	मार्ग से
		एफपीआई)	
		[पंजीकृत	
		एफआईआई/	

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
		एफपीआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत निवेश की सीमा 23% और एफडीआई योजना के तहत निवेश	
		सीमा 26%]	
20.3	अन्य शर्तेः (i) एफआईआई/एफपीआई द्वारा की जाने वाली खर्रे ही सीमित होगी। (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार् कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक श	र्य करनेवाले व्यक्ति	यों सहित, इन
21.	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74%(एफडीआई+ एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से
21.2	अन्य शर्तेः (2) विदेशी निवेश की अनुमित है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वा हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई/एफपीआई को विदेश प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश र सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुम (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा असे अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी ज (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई/आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की	ो निवेश के लिए गोजना के तहत स्टॉन ही निवेश करने की मित दी जाएगी बशर्ते प्रत्यक्ष रूप से शेयर अधिक होने पर गएगी; और	निर्धारित 74 क एक्सचेंज में ो अनुमति दी ; स्धारिता 10% इसकी सूचना

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का	प्रवेश मार्ग
20		प्रतिशत	
22	प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी	100//	
22.1	3 "		
	की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार ओर समाशोधन निगम।	एफआईआई/ एफपीआई)	मार्ग से
	विद्यापार आर समाराविक विविध	[चुकता पूंजी की	
		26 प्रतिशत सीमा	
		तक एफडीआई	
		और 23 प्रतिशत	
		सीमा तक	
		एफआईआई/	
		एफपीआई]	
22.2	अन्य शर्ते		
22.2.1	एफआईआई/एफपीआई केवल द्वितीयक(सेकेंडरी) बाज़	गरों में खरीद के म	गध्यम से ही
	निवेश कर सकते हैं।		
25	फार्मास्यूटिकल्स		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान(ब्राउनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकारी
25.3	अन्य शर्तें		
	(i) केवल विशेष मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड		
	द्वारा दी गई अनुमति के सिवाय "गैर प्रयोगी"		
	उपबंध की अनुमति नहीं होगी।		
	(ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है		
	कि वे आवश्यक प्रमाणपत्र विदेशी निवेश संवर्धन		
	बोर्ड को दिए आवेदनपत्र सहित प्रस्तुत करें।		
	(iii)ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु		
	अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार उचित शर्तों		
	का समावेश कर सकती है।		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
26	पावर एक्सचेंज		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट)	49 प्रतिशत	स्वचालित
	विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	(एफडीआई +	मार्ग से
		एफआईआई/	
		एफपीआई)	
26.2	अन्य शर्तें:		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और		
	एफआईआई/एफपीआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे।		
	(ii) एफआईआई/एफपीआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ा	र तक ही सीमित हो	गी।

अधिसूचना सं.फेमा.20 की अनुसूची 1 के संलग्नक "बी" में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का	प्रवेश मार्ग	
		प्रतिशत		
कृषि				
1	कृषि और पशुपालन	I	T	
1.1	अन्य शर्तेः			
	II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिरि	वेत को कवर करती	<del>है</del> :-	
	(v) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम	की खेती वाली श्री	णेयों के लिए	
	'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने	का एक तरीका है	जिसमें वर्षा,	
	तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती	की विधियों को	कृत्रिम रूप से	
	नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए	र इन मानदंडों में	नियंत्रण ग्रीन	
	हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य प		•	
	जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्ष	तेप से नियंत्रित किर	ग जाता है।	
	(vi) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के कवर करती है:	तहत' शब्दावली नि	<b>म्नलिखित</b>	
(ए) स्टाल-फीडिंग सिहत गहन फार्मिंग प्रणालियों के तहत पशु-पालन। रा नीति, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट गहन फार्मिंग प्रणालियों में जलवायु प्रणालि रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पो पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन अपेक्षित होंगी एवं वर्तमान "मानक आपरेटिंग प्रणालियों एवं न्यूनतग् समझौतों (प्रोटोकाल) के अनुरूप होंगी"।			गालियां (हवा- पोषण, झुंड न प्रणालियां	
	(बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रो (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है			
	(vii) मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के शब्दावली इन्हें कवर करती है:			
	(ए) मछलीघर (अक्वेरियम)			
(बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम				

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / प्रवेश मार्ग	
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण मे	ं उन्हें सेया जाता है।	
	(viii) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन्हें कवर करती है:		
	(ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमान में और उ	जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता	
	और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी प	लिन स रहिंद का उत्पादन।	
6	रक्षा		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) 2 अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के	6% 26% तक सरकारी मार्ग से।	
	अधीन है।	26% से अधिक, मामले-	
		दर-मामले के आधार पर,	
		सुरक्षा संबंधी कैबिनेट	
		कमीटी की मंजूरी द्वारा जिसमें आधनिक एवं	
		जिसमें आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक	
		देश की पहुंच सुनिश्चित	
		होती हो।	
	<b>नोट:</b> (i)विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों(FPIs)/विदेशी	संस्थागत निवेशकों(FIIs) द्वारा	
	(पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से) निवेश करने	की अनुमति नहीं है।	
	(ii) 22 अगस्त 2013 को रक्षा लाइसेंस की धार	क कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो	
	निवेशकों(FPIs)/विदेशी संस्थागत निवेशकों(FIIs	) द्वारा (पोर्टफोलियो निवेश के	
	माध्यम से) किए गए निवेश तद्दिनांक के मौ		
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(FPIs)/विदेशी संस्थागर		
	के माध्यम से) नहीं किए जाएंगे, भले ही ऐसे	निवेश का स्तर बाद में उच्चतम	
0.0	(कैप) स्तर से कम हो जाए।		
6.2	अन्य शर्ते:		
	(xv) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकार आवदेनपत्र आर्थिक कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्		
	प्रस्तुत किए जाएंगे।	નળ ષાં5 (ામળ) જ સાયવાભય જા	
	7730 147 MIX-11		

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	(xvi) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आवदेनपत्र मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे 1200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाने वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन चाहने वाले आवेदनपत्रों की, सभी मामलों में, अतिरिक्त जांच आधुनिक एवं नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषतौर पर रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) द्वारा की जाएगी।  (xvii) जिन मामालों से देश नवीनतम प्रोद्योगिकी तक पहुंच सके, ऐसे मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग (DoDP) और विदेशी निवेश मंदर्शन विभाग (DDP) की संस्वित के अध्याद		
	उत्पादन विभाग (DoDP) और विदेशी निवेश संवर्धन विभाग (DIPP) की संस्तुति के आधार पर रक्षा उत्पादन विभाग सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।		
	(xviii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 26% से अधिक के प्रस्ताव जिनमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश लाने के प्रस्ताव हों, जिनका अनुमोदन सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCS) द्वारा किया जाए, उनके लिए उक्त के अलावा आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट कमीटी (CCEA) से अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी।		
	(xix) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
सेवा क्षेत्र			
सूचना सं	वाएं		
7	प्रसारण		
7.5	उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), अर्हताप्राप्त विदेशी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों ( रसीदों (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदों (जीडीआ विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी ध	निवेशकों (एफआई निवेशकों (क्यूएफअ एफसीसीबी), अमेरि र) द्वारा किए ग	इंआई), विदेशी ाई), अनिवासी की डिपॉजिटरी ए निवेश और
	शामिल होंगे।		

उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तीं/नियमों

7.6

के अधीन होंगे:

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	

#### कर्मचारियों के लिए स्रक्षा अन्मोदन (security clearance)

(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों के लिए, उनके अभिनियोजन से पहले, सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

## अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन

(vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमित धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के पर संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमित/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

### सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

(xiv) ये निरीक्षण सामान्यतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसी नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।

# राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें

(xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का कंपनी को तुरंत अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ/ एफआईआई/ एफपीआई द्वारा निवेश)	सरकार
9.	नागरिक उड्डयन	l	
9.1	(x) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;		
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
9.3.1	अन्य शर्तें		
	(ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुस्चित और गैर-अनुस्चित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमित है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:  (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।		
	(ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशव एफपीआई के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के स्संगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना अ		
	प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनिय अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ	गमों/शेयरों के पर्याप	त अर्जन और

क्षेत्र(मेक्टर)/ग्रातिविधि	गफडीभाई कैप /	प्रवेश मार्ग
417(31403)/11(11414		וייווי ואיי
का पालन करना आवश्यक होगा।		
(iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:		
क) जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हैं, औ ग) जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण है।		
(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरण के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेन अपेक्षित होगा।		
मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों गया हो। (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेश द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में अ	द्वारा कोई भी नि श के संबंध में अनि गी छूट जारी रहेगी।	वेश नहीं किया वासी भारतीयों
दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित) अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित सभी दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवाएं, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आएसपी लाइसेंस, वाइस	100%	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से
	(iv) अनुस्चित ऑपरेटर परिमट केवल उस कंपनी को विका जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्थाख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निर्वेश जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुस्चित सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों की तें अनापित्त प्रमाणपत्र लेना होगा; और (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिका अपेक्षित होगा।  टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों गया हो। (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेदवारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में भ्र (iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर द्रसंचार सेवाएं द्रसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित) अन्य सेवा प्रदाताओं को छोड़कर, द्रसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित सभी द्रसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय द्रगामी सेवाएं, कमार्शियल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल रेडियो	का पालन करना आवश्यक होगा।  (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परिमट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:  क) जो पंजीकृत है और जिसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है;  ख) जिसके अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नार ग) जिसका भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंश (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनुसूचित सेवाओं के साथ जुड़ने वाले सभी विदेशी नागरिकों की तैनाती के पहले सुरक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा; और  (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तक के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति अपेक्षित होगा।  टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निगमार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निगया हो।  (ii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग)(ii) में दिए गए क्षेत्र में निवेश के संबंध में अनि द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में भी छूट जारी रहेगी।  (iii) उपर्युक्त पैरा 9.3.1(ग) में वर्णित नीति मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर स्त्रां सेवाएं  (दूरसंचार सेवाएं  (दूरसंचार इंफास्ट्रक्चर प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार इंफास्ट्रक्चर प्रदाताओं को छोड़कर, दूरसंचार सेवाएं अर्थात बेसिक, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवाएं, कमर्शियल वी-सेट, पिल्तक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (पीएमआरटीएस), गलोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आएसपी लाइसेंस, वाइस

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/र्गा	तेविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
			ईक्विटी का	
			प्रतिशत	
1	मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी सेव	गएं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता		
	श्रेणी-। (डार्क फाइबर, राइट	आफ वे, डक्ट स्पेस,		
	टावर उपलब्ध कराने वाले) ।			
15.1.1	अन्य शर्ते :			
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% रि	जेसमें से 49% स्वचालित	मार्ग से तथा 49	% से अधिक
	सरकारी मार्ग से होगा बशर्ते ल	ाइसेंसी के साथ-साथ निव <u>े</u>	शक द्वारा समय-	समय पर दूर
	संचार विभाग द्वारा जारी अधि		·	• •
	जाए, केवल "अन्य सेवा प्रदाता	••		
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर			
		3		
16.	व्यापार			
16.3	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत त	नक स्वचालित
	व्यापार		मार्ग से	
			49 प्रतिशत र	ने अधिक
			सरकारी मार्ग	से
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार करने के लिए किसी कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदनपत्र औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआईए को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के तहत विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के तहत विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा।			
	वित्तीय सेवाएं नीचे लिखी हुई वित्तीय सेवाओं लिए सरकार की पूर्वानुमति लेर्न		त्तीय सेवाओं में वि	वेदेशी निवेश के
17.	परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन	कंपनियां (एआरसी)		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आश	य ऐसी कंपनी से है जो	एआरसी की	49% तक
	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभू	्तिकरण और पुनर्गठन	प्रदत्त पूंजी का	स्वचालित मार्ग
	तथा प्रतिभूति हित का प्रवत	र्नन अधिनियम, 2002	100% प्रतिशत	से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	(सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व	(FDI+FII/FPI)	49% से
	बैंक के पास पंजीकृत हो।		अधिक सरकारी
			मार्ग से
17.2	अन्य शर्तैः		
	(i) भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक वे	न पास पंजीकृत ः	आस्ति पुनर्गठन
	कंपनियों की पूंजी में स्वचालित मार्ग से 49% तक	और 49% से	अधिक सरकारी
	अनुमोदन मार्ग से निवेश कर सकता है।		
	(vi) कोई भी प्रवर्तक किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी	गि में 50% से अ	धिक शेयरों को
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एक प्रवर्तक द्वारा नियंत्रि	त एफआईआई/एफ	पीआई के जरिए
	धारित (होल्ड) नहीं कर सकता है।		
	(vii) किसी एक एफआईआई/एफपीआई की कुल शेयरधार्ग	रेता कुल प्रदत्त पूं	्जी के 10% से
	कम होनी चाहिए।		
	(viii) रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत एआरसी द्वारा	जारी की गई	प्रतिभूति रसीदों
	(एसआर) में एफआईआई/एफपीआई निवेश कर सकते	हैं। एफआईआई/एप	म्पीआई एसआर
	योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 74 प्रतिशत तक निवेश	कर सकते हैं। ऐसे	निवेश कार्पीरेट
	बांडों में एफआईआई/एफपीआई द्वारा निवेश करने के लिए, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट		
	सीमा में, और वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विनियमवाली के अंतर्गत दी गई सेक्टोरल		
	कैप के भीतर होने चाहिए।		
	(ix) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित		
	प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3	(3) (एफ) के उप	पबंधों के अधीन
	होंगे।		
18.	बैंकिंग-निजी क्षेत्र		T
18.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	एफआईआई/एफ	
		पीआई द्वारा	
		किए गए निवेश	
		सहित 74	मार्ग से
		प्रतिशत	_
			49 प्रतिशत
			से अधिक
			और 74
			प्रतिशत तक

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप /	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का प्रतिशत	
		त्रातरात	 सरकारी मार्ग
			से
18.2	अन्य शर्ते:	1	
	(1) इस 74 प्रतिशत की इस सीमा में पोर्टफोलियो नि	विश योजना (पीआई	ईएस) के तहत
	एफआईआई/एफपीआई, एनआरआई द्वारा किए गए वि	नेवेश, पूर्ववर्ती ओर्स	ोबी द्वारा 16
	सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपी		आबंटित शेयर,
	जीडीआर/एडीआर और मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेय		
	(4) एफआईआई/एफपीआई और एनआरआई द्वारा		_
	पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निव	वंश का अनुमत सी	ना निम्नानुसार
	होगी: (i) एफआईआई/एफपीआई के मामले में, अब तक की	रे भांनि किसी पत	- गाह्रभटिभटि/
	एफपीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रति		
	एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई के लिए समग्र सीमा		
	अधिक नहीं हो सकती है, जिसे संबंधित बैंक द्वारा कुल	•••	
	बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल		
	किया हो और उसके बाद उसकी आम सभा ने भी इ	स आशय का एक	विशेष संकल्प
	पारित किया हो।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई/एफपीआई/क्यूएफआई	द्वारा किए जाने व	गले निवेश की
	सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बर्न		
	(डी) एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनि		
	लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने	की अपेक्षा विनिर	यम 14(5) के
20	अनुसार लागू बनी रहेगी।		
<b>20.</b> 20.2	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) पण्य बाजार	49% (एफडीआई	म्बर्गातिन
20.2	4°4 dioit	और एफआईआई/	_
		एफपीआई)	The Vi
		[पंजीकृत	
		एफआईआई/	
		एफपीआई द्वारा	
		पोर्टफोलियो निवेश	
		योजना	
		(पीआईएस) के	

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईिक्वटी का प्रतिशत तहत निवेश की सीमा 23% और एफडीआई योजना के तहत निवेश	प्रवेश मार्ग
		सीमा 26%]	
20.3	अन्य शर्तें: (iii) एफआईआई/एफपीआई द्वारा की जाने वाली खर्र ही सीमित होगी। (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर का कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शे	र्य करनेवाले व्यक्तिर	यों सहित, इन
21.	ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां	74%(एफडीआई+ एफआईआई/ एफपीआई)	स्वचालित मार्ग से
21.2	अन्य शतें: (2) विदेशी निवेश की अनुमित है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई/एफपीआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमित दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई/एफपीआई निवेश की अनुमित दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10% से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई/एफपीआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रिधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		निर्धारित 74 क एक्सचेंज में ो अनुमति दी ; धारिता 10% इसकी सूचना
22	प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
22.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार,		स्वचालित मार्ग से

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	निक्षेपागार ओर समाशोधन निगम।	एफपीआई) [चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई/ एफपीआई]	
22.2	अन्य शर्तें	(1) 11011(2)	
22.2.1	एफआईआई/एफपीआई केवल द्वितीयक(सेकेंडरी) बाज़ निवेश कर सकते हैं।	गरों में खरीद के ग	नाध्यम से ही
25	फार्मास्यूटिकल्स		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान(ब्राउनफील्ड) कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकारी
25.3	अन्य शर्तें		
	(iv)केवल विशेष मामलों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई अनुमित के सिवाय "गैर प्रयोगी" उपबंध की अनुमित नहीं होगी। (v) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे आवश्यक प्रमाणपत्र विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को दिए आवेदनपत्र सिहत प्रस्तुत करें। (vi)ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान करते समय सरकार उचित शर्तों का समावेश कर सकती है।		
26	पावर एक्सचेंज		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई + एफआईआई/ एफपीआई)	

क्र.सं.	क्षेत्र(सेक्टर)/गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
26.2	अन्य शर्तें:		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई/एफपीआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई/एफपीआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी।		